अध्याय III
अनुपालना लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्र संरचनाओं के लेनदेनों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा में प्रबन्धन की खामियों तथा विनियमन, औचित्यता और मितव्ययता के मापकों की अनुपालना में विफलतायें ध्यान में लाई गई है जिनकों वृहद् विषयक शीर्षो के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

कृषि विभाग

3.1.1 राजस्थान में कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क का अकार्यान्वयन

3.1.1.1 परिचय

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क नामक एक योजना, एक मिशन मोड परियोजना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कृषक समुदाय के लिये सेवाओं में सुधार मुहैया कराने हेतु प्रारंभ की (अप्रेल 2005)। चूंकि योजना को परियोजनाकृत मोड में कार्यान्वित किया जाना था, इसलिये राज्य सरकारों को 'सरकार से नागरिक' सेवाओं के संदर्भ में प्रत्येक परियोजना हेतु उत्पाद एवं प्रदेय निर्धारित किए जाने थे। 'सरकार से सरकार' को सेवाओं के प्रावधानों को मध्यवर्ती उत्पादन के रूप में माना जायेगा। परियोजना में, कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क पोर्टल, वीडियों कान्फ्रेन्सिंग, मोबाइल आधारित प्रणाली, नागरिक सेवा केन्द्र, ज्ञान कोष्ठ इत्यादि द्वारा 'सरकार से व्यापार' को, 'सरकार से लोकसेवक' को तथा 'सरकार से कृषकों' को सेवाएं सम्मिलित करने की भी परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य कृषकों की सूचना आवश्यकताओं का आंकलन, कृषि तकनीकी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग कर, प्रणाली का निर्माण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग से कृषकों का सशक्तिरण एवं कृषकों से संबंधित प्रासंगिक संसाधनों की सूचना यथा बीज प्रमाणीकरण, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि को कृषकों को उपलब्ध कराना था।

यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस योजना का लाभ दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) की समाप्ति से पूर्व दिखाई दे, भारत सरकार ने कार्यान्वयन अवधि के लिये लगभग एक वर्ष के समय (2006 के मध्य) की कल्पना की। योजना की परिवर्तनकारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने योजना की प्रगति एवं उपलब्धियों का एक अध्ययन अप्रेल से मई 2013 में आयोजित किया। यह

दृष्टिगत हुआ कि विभाग ने यद्यपि परियोजना को एक वर्ष में पूर्ण करने के विनिश्चय पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर 2009 में प्रस्तुत की थी तथापि कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के अन्तर्गत जुलाई 2013 तक अर्थात् निर्धारित तिथि के सात वर्षों के उपरान्त भी किसी भी सेवाओं को राजस्थान में आरंभ नहीं किया गया। अत: योजना के अधीन किसी प्रकार का लाभ दसवीं या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में दृष्टिगत नहीं हुआ। इन पूर्ण विफलताओं के उत्तरदायी कारकों पर हमारा विश्लेषण, जो कि नौ जिलों[1] (33 में से) की 106 इकाइयों/कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है, निम्नांकित अनुच्छेदों में निरूपित है।

3.1.1.2 परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में विभाग की उदासीन पहुंच

कृषि और सहकारिता विभाग की 'अनुमोदन सह अनुश्रवण समिति' ने राज्य सरकारों से 17 मई 2005 को परियोजना तैयारी सहायता के लिये प्रस्ताव 15 जून 2005 तक तथा निधिकरण के लिये परियोजना प्रस्ताव 31 जुलाई 2005 से पूर्व इस दृष्टि से मांगे कि परियोजना लगभग एक वर्ष के समय में पूर्ण की जा सके।

परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में कृषि विभाग की उदासीन पहुँच को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. स.	परियोजना की गतिविधियाँ	निर्धारित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलम्ब
1	कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार की अनुमोदन सह निगरानी समिति को प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण।	15 जून 2005	अप्रेल 2006	10 माह
2	अनुमोदन सह निगरानी समिति को निधिकरण हेतु परियोजना प्रस्तावों और अनुवर्ति विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।	31 जुलाई 2005	नवम्बर 2009	4 वर्ष एवं 4 माह
3	अनुमोदन सह निगरानी समिति द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन	-	दिसम्बर 2009	-
4	परियोजना की पूर्णता	दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पूर्व (मार्च 2007)	कार्य प्रगति पर (सितम्बर 2013)	7 वर्ष

1. भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, करौली, कोटा, झालावाड़, राजसमंद और सीकर।

प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में विलम्ब

कृषि विभाग ने कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के प्रस्ताव तैयार करने के लिये लागत अनुमान हेतु राजकॉम्प, राजस्थान सरकार के एक उपक्रम से सम्पर्क किया (जुलाई 2005)। राजकॉम्प से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, विभाग ने अपने प्रस्ताव कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार को भेजे (अप्रेल 2006), जिसे प्रस्ताव के प्रारम्भिक अवस्था में होने और इनके उपयोग में होने वाले मॉड्यूल के निर्दिष्ट नहीं होने के कारण अनुमोदन सह निगरानी समिति, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (14 जून 2006)।

इसके उपरान्त, विभाग ने, प्रस्ताव तैयार करने के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से संपर्क किया (सितम्बर 2006)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने प्रस्ताव तैयार कर विभाग को प्रस्तुत किये (मार्च 2007) किन्तु यह एक वर्ष तक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं करने एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की अतिरिक्त मांग के कारण दो से अधिक वर्षो के लिये कृषि विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के मध्य विचार विमर्श के लिये पड़ा रहा। इसी बीच परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 30 जून 2006 को जारी ₹ 5 लाख की स्वीकृति की वैधता अवधि व्यपगत हो गयी, जो जनवरी 2009 में नवीनीकृत की गयी।

अंततः राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये मैसर्स इनफोगेन को ₹ 4.32 लाख का कार्य आदेश जारी किया (जुलाई 2009), जो विभाग को नवम्बर 2009 में प्रस्तुत किया गया।

विभाग ने ₹ 7.95 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये (नवम्बर 2009)। भारत सरकार ने ₹ 2.35 करोड़[2] की राशि की गतिविधियों को अस्वीकृत करते हुए ₹ 5.60 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किये (16 दिसम्बर 2009)।

योजना को लागू करने की दिशा में विभाग का रूख उदासीन रहा जैसा कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण द्वारा ऊपर तालिका में दर्शाया गया है। इससे प्रकट होता है कि भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने में साढ़े चार वर्ष लगे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (जनवरी 2014) कि राजकॉम्प एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की किसी भी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में, विभाग ने परियोजना प्रस्ताव अपने स्तर पर तैयार किये।

2. हैण्ड हैण्डलिंग लागत (₹ 1.09 करोड़), विविध व्यय (₹ 0.10 करोड़), स्थान की तैयारी (₹ 0.73 करोड़), विभिन्न कार्यालयों को लेपटाप(₹ 0.38 करोड़), सेमीनारों, कार्यशालाओं (₹ 0.05 करोड़)।

उत्तर सही नहीं है चूंकि प्रस्ताव को तैयार कर भारत सरकार को भेजने के लिये विभाग द्वारा नियत समयावधि के दौरान अन्य विकल्पों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

परियोजना के कार्यान्वयन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी में असाधारण विलम्ब

भारत सरकार के अनुमोदन (दिसम्बर 2009) के सात माह बाद, विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से परियोजना के क्रियान्वयन के लिये उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया (जुलाई 2010)। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने कार्य हेतु एक दृष्टिपत्र प्रस्तुत किया (जुलाई 2010) एवं विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को परियोजना को लागू करने का अनुमोदन अक्टूबर 2010 में जारी कर निर्देशित किया कि वे दिसम्बर 2010 तक सॉफ्टवेयर तैयार करें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने 'प्रस्ताव के लिये निवेदन' निविदा प्रपत्रों को तैयार करने के प्रस्तावों पर विचार करके बताया (28 जनवरी 2011) कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (इनफोगेन) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्ताव के लिये निवेदन तैयार करने के लिये एप्लीकेशन विकास और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तैनाती के दायरे को आवरित नहीं किया है। हार्डवेयर की आवश्यकता भी एप्लीकेशन की आवश्यकता के साथ मापित नहीं की गयी तथा हार्डवेयर की लागत भी उचित नहीं थी। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को पुन: तैयार कराने हेतु विभाग फरवरी 2011 में सहमत हुआ तथा तद्नुसार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, एक सलाहकार एजेंसी, को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के पुन: तैयार कराने हेतु एक कार्य आदेश जारी किया (28 फरवरी 2011)।

तथापि, उपर्युक्त निर्णय के विपरीत विभाग ने अन्य राज्यों के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एप्लीकेशन को उनकी आवश्यकतानुसार अनुरूपण करने के बाद कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को आंवटित किया (जुलाई 2011) एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को सूचित किया कि सलाहकार (प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) की सेवाओं की और आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में विभाग ने दो वर्ष (नवम्बर 2009 से अगस्त 2011) व्यतीत कर दिए। यद्यपि, यह दृष्टिगत हुआ कि अनुबन्ध सम्पादित किए बिना विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को कुल लागत ₹ 4.05 करोड़ के समक्ष ₹ 2.49 करोड़ का अग्रिम भुगतान कर दिया (मार्च 2012)। कार्य, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व पूर्ण करना निर्धारित था, पूर्ण नहीं हुआ (मार्च 2013)।

विभाग ने बताया (जून 2013) कि सलाहकार की धीमी प्रगति के कारण परियोजना कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को आंवटित किया गया तथा पोर्टल

सक्रिय नहीं किया जा सका क्योंकि सभी एप्लीकेशनस् पूरी होने के लिए अभी भी प्रक्रियाधीन थी। विभाग ने आगे सूचित किया (जून 2013) कि आठ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनस्[3] अप्रेल 2014 तक पूर्ण हो जायेंगें।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2014) एवं बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार का एक उपक्रम है एवं भारत सरकार ने राज्य में कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को अनुमोदन प्रदान किया।

3.1.1.3 अनुदानों का अनुपयोजन

योजना के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार ने 17 फरवरी 2010 को ₹ 5.60 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया। सूचना प्रौद्यागिकी उपकरणों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 5.11 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ स्वीकृत की गई, जिसके समक्ष 30 मार्च 2011 को ₹ 1.78 करोड़ जारी किये। विभाग ने 2010-13 के दौरान इन निधियों पर ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज भी अर्जित किया। इस प्रकार, विभाग के पास कुल ₹ 7.50 करोड़ की निधि उपलब्ध थी।

- 700 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में नेटवर्किंग/ब्रॉडबैंड सम्बन्ध तथा 463 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापना के लिये मार्च 2011 में जारी ₹ 1.78 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान को उपयोग में नहीं लिया गया, जिसके कारण शेष अनुदान ₹ 3.33 करोड़ जारी नहीं हुए। इससे राज्य इस योजना के लिये बुनियादी ढांचे के विकास के अनुदान के लाभ से वंचित रहा। अनुदान के अनुपयोजन के कारणों को विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (जनवरी 2014)।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में सरकारी भवन, विद्युत कनेक्शन एवं सुरक्षा व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण 463 सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उपयोग नही किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित करने से पहले बुनियादी ढ़ांचा निर्मित करना चाहिए था।

3. मासिक प्रगति प्रतिवेदन; बजट; उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं अनुश्रवण; बीज की मांग तथा उपलब्धता का अनुश्रवण; बोने की साप्ताहिक सूचना, मौसम, कीटनाशक प्रबन्धन; मृदा जांच कार्यक्रम का अनुश्रवण, पी आई एस एवं कृषि उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण की गुणवत्ता का अनुश्रवण।

विभाग ने हार्डवेयर की खरीद और प्रशिक्षण पर 2010-11 के दौरान ₹ 2.31 करोड़[4] का व्यय किया एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को ₹ 2.49 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया (मार्च 2012)। 2011-13 के दौरान अन्य कोई गतिविधि नहीं की गई। विभाग ने बताया (जून 2013) कि क्रियान्वयन में विलम्ब अनुदान देरी से प्राप्त होने से हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परियोजना 16 दिसम्बर 2009 को अनुमोदित हो गई थी लेकिन विभाग ने 4 फरवरी 2010 को अनुदान के लिये आवेदन किया। भारत सरकार द्वारा अनुदान 17 फरवरी 2010 को स्वीकृत किया गया और अनुदान प्राप्ति में देरी नहीं हुई थी।

3.1.1.4 परिहार्य व्यय

कम्प्यूटरों की समय से पहले खरीद

विभाग ने ₹ 5.60 करोड़ के अनुदान के विरूद्ध हार्डवेयर उपकरणों (456 कम्प्यूटर, 471 प्रिन्टर[5] एवं 441 यूपीएस) के प्रापण पर 2010-11 के दौरान ₹ 2.27 करोड़ व्यय किये।

सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं होने के कारण उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सका एवं अन्य कार्यालयों को विपथन करना पड़ा, हालांकि इस तरह का विपथन योजना के तहत प्रदत्त नहीं था। 9 जिलों की 106 इकाईयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 30 कम्प्यूटर, जिन्हें आवंटित करने थे **(परिशिष्ट 3.1)**, के अलावा अन्य कार्यालयों को विपथित कर दिये गये एवं 10 अप्रयुक्त पड़े रहे। चार कम्प्यूटर सेट[6] डिब्बाबन्द पाये गये और चार सेट[7] उनके पूर्ववर्तियों द्वारा वर्तमान पदाधिकारियों को नहीं सौंपे गये और 58 सेट कार्यालय का नियमित कार्य करने के लिये अधिकारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे थे।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि भवन की कमजोर स्थिति, कार्यालय की अनुपलब्धता, विद्युत कनेक्शन का अभाव, सुरक्षा मापदण्डों की कमी तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव एवं खाली पदों का रहना आदि कम्प्यूटरों के अनुपयोग या विपथन के कुछ कारण थे। किसानों को कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क सेवाऐ प्रदान करने के लिये आधारभूत ढांचे के निर्माण एवं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुनिश्चित किये बिना ₹ 2.27 करोड़ के हार्डवेयर की समय से पूर्व खरीद, पुराने मॉडल्स् के मूल्यों में भारी कटौती एवं अप्रचलन की उच्च दर को दृष्टिगत रखते हुए अनुत्पादक साबित हुई।

---

4. हार्डवेयर क्रय ₹ 2.27 करोड़ एवं राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर को कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये अन्तरित किये गये ₹ 0.04 करोड़।
5. प्रदायक ने क्रय के विरूद्ध 30 प्रिन्टर निशुल्क उपलब्ध कराये।
6. सहायक निदेशक- झालावाड़, सहायक कृषि अधिकारी फतेहपुर, बांदीकुई, नादौती।
7. सहायक कृषि अधिकारी-बड़ीसादड़ी, सपोटरा, महुआ, गंगरार।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया (जनवरी 2014) कि विभाग द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत नाबार्ड के सहयोग से प्रथम चरण में 248 पंचायत समितियों पर किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण होने की सम्भावना है। इन केन्द्रों पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से मूल आधारभूत संरचना स्थापित करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर के अभाव में कम्प्यूटर हार्डवेयर का उपयोग, योजना हेतु नहीं किया जा रहा था।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन पर परिहार्य व्यय

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना को लागू करने के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप्लीकेशन की लागत सहित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को ₹ 2.49 करोड़ के अग्रिम का भुगतान मार्च 2012 में किया गया। यह दृष्टिगत हुआ कि विभाग द्वारा ''ऑन लाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड'' नाम की एक पृथक परियोजना भी मई 2012 में स्वीकृत की गई एवं इससे ₹ 6.30 लाख का व्यय किया। यह कार्य पहले से ही कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क योजना में सम्मिलित था, इस प्रकार दो भिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में कार्य की समान मद पर ₹ 6.30 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं बताया (जनवरी 2014) कि एग्रीसनेट परियोजना हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा और भी सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने है अत: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा ऐसे अन्य सॉफ्टवेयर विकसित करने पर राशि ₹ 6.30 लाख का समायोजन कर लिया जावेगा।

3.1.1.5 विवेचित घटकों को आवरित नहीं किया जाना

'किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों' की स्थापना का अभाव

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना का आधारभूत ढांचा विकसित करने एवं योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर सहायक कृषि अधिकारियों के कार्यालयों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की निधियों से किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जाने थे।

विभाग ने किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों की स्थापना के लिये सुरक्षित भवन, स्थल का विकास एवं आवश्यकतानुरूप किराये का भवन या मौजूदा सरकारी भवन के नवीनीकरण की व्यवस्था 15 मई 2010 तक करने के निर्देश जारी किये (अप्रेल 2010)।

यह दृष्टिगत हुआ कि उप निदेशक, कृषि, दौसा एवं सीकर ने भवन, कम्प्यूटर टेबल, टोनर एवं विद्युत इत्यादि पर व्यय हेतु आयुक्त, कृषि को प्रस्ताव प्रस्तुत

किये (8 जुलाई 2010 एवं 2 दिसम्बर 2010) किन्तु प्रधान कार्यालय से कोई बजट जारी नहीं किया गया। सहायक निदेशक, हिण्डौन सिटी, करौली ने निधि जारी करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये। उप निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके। यह पुष्टि हुई (मई 2013) कि कार्यालय भवन, विद्युत कनेक्शन एवं कम्प्यूटर की सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी जो दर्शाता है कि किसान सूचना सम्प्रेष्ण केन्द्रों के लिये आधारभूत ढ़ांचा विकसित नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग, परियोजना के कार्यान्वयन के लिये तैयार नहीं था। बजट के अधीन निधियां उपलब्ध नहीं कराने के कारण, प्रस्तुत नहीं किये गये (जून 2013)।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि 2010-11 में प्रति कार्यालय ₹ 10 हजार की दर से 250 सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों हेतु ₹ 25 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी, ताकि इन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण कर कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना को प्रारम्भिक तौर पर शुरू किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में 249 पंचायत समितियों एवं 3000 ग्राम पंचायतों हेतु किसान सूचना सम्प्रेषण केन्द्रों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है लेकिन इन कार्यालयों हेतु अलग से बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त होनें के बावजूद भी अनुच्छेद में वर्णित कार्यालयों को बजट स्वीकृत नहीं किया जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया।

अपर्याप्त क्षमता निर्माण

कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क के लिये ₹ 5.60 करोड़ के अनुदान में (फरवरी 2010) क्षमता निर्माण के अन्तगर्त दो चरणों में प्रशिक्षण के लिये ₹ 0.68 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था। ₹ 15,000 प्रत्येक की दर से 456 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम चरण में कम्प्यूटर जागरूकता (कम्प्यूटर का परिचय, विण्डो, संचालन, ई-मेल, एमएस आफिस, मूल बातें इत्यादि) तथा द्वितीय चरण में रिलेशनल डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली एवं एप्लीकेशनल सॉफ्टवेयर (कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क पोर्टल) का प्रशिक्षण दिया जाना था। इस प्रयोजनार्थ ₹ 4 लाख का अग्रिम, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा को स्वीकृत किया गया। यद्यपि यह विदित हुआ कि ₹ 29.40 लाख के विरूद्ध ₹ 3.05 लाख का व्यय कर केवल 196 सहायक कृषि अधिकारियों को प्रत्येक पांच दिन के 10 कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार, 260 कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं देते हुए प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय मात्र ₹ 1,556 किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारा एवं सूचित किया (जनवरी 2014) कि सॉफ्टवेयर विकसित करने के बाद ₹ 0.68 करोड़ के प्रावधान में से बची हुई राशि का

उपयोग मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सहायक कार्यालयों के सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु किया जा सकेगा।

3.1.1.6 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का अभाव

विभाग ने कार्य के अनुश्रवण के लिये जैसा कि दिशा-निर्देशों में परिकल्पित है, राज्य स्तरीय संचालन समिति, परियोजना कार्यान्वयन समिति, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति इत्यादि का गठन नहीं किया। अनुमोदन-सह-निगरानी समिति के दिशा-निर्देशानुसार (मई 2005) राज्य सरकार ने भारत सरकार को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं की।

सरकार ने बताया (जनवरी 2014) कि कृषि संसाधन सूचना प्रणाली नेटवर्क परियोजना के लिये कम्प्यूटर कक्ष के संचालन हेतु विभाग में कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत केवल प्रोजेक्ट ई-गवर्नेन्स मिशन टीम एवं ई-शासन कक्ष का गठन (मार्च 2012) मिशन लीडर के अधीन किया गया एवं इस परियोजना से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय की सूचना समय-समय पर भारत सरकार को भेजी गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक समितियों का गठन नहीं किया था एवं भेजी गयी सूचना तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मासिक प्रगति प्रतिवेदन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके।

इस प्रकार, परियोजना, जो कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (मार्च 2007) पूरा करने के लिये नियोजित की गयी थी, दिसम्बर 2009 में ही भारत सरकार द्वारा राजस्थान के लिये अनुमोदित की थी। धीमी प्रगति एवं कमजोर निगरानी के कारण परियोजना असफल रही तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त लाभों से कृषकों को वंचित किया।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.1.2 ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त निधियों का अनाधिकृत उपयोग

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण पर ₹ 2.75 करोड़ की ग्रामीण सड़क निधियों का अनाधिकृत उपयोग।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशा-निर्देश निर्धारित करते है कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उपलब्ध निधि को केवल ग्रामीण सड़कों और पुलों के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

कोटा उत्तर और दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रों में 12 ग्रामीण सड़कों[8] के निर्माण के लिए ₹ 4.00 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदान की गयी (सितम्बर 2011)।

अधीक्षण अभियन्ता वृत कोटा/अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, कोटा ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी की (सितम्बर 2011) और अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, कोटा ने पैकेज आरजे-23-09 के लिए ₹ 1.68 करोड़ का मैसर्स अमृत कन्सट्रक्शन और पैकेज आरजे-23-10 के लिए ₹ 1.52 करोड़ का मैसर्स परेटा एसोसिएट्स के पक्ष में कार्यादेश जारी किया (22 सितम्बर 2011) और कार्य पूरा करने की तारीख 29 फरवरी 2012 निर्धारित की गयी थी। निर्माण कार्य प्रगति में थे और मार्च 2013 तक कुल व्यय ₹ 2.75 करोड़ (पैकेज आरजे-23-09 पर ₹ 1.40 करोड़ और पैकेज आरजे-23-10 पर ₹ 1.35 करोड़) उपगत हुआ।

नगरखण्ड, कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया (अप्रेल 2012) कि कोटा नगर निगम क्षेत्रों की इन सभी सड़कों के निर्माण में ग्रामीण आधारभूत विकास निधियों का उपयोग किया गया जो उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार केवल ग्रामीण सड़क और पुल के निर्माण के लिए थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2013) कि ये सड़के कोटा निगर निगम की नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत थी लेकिन इन सड़कों की स्थिति ग्रामीण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोटा नगर निगम द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में निर्मित सड़के नगरपालिका सीमा के भीतर थी। इसलिए, इन सड़कों के निर्माण के लिये ग्रामीण आधारभूत विकास निधि की निधियों का उपयोग कर ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया।

3.1.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से अनाधिकृत भुगतान

रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों से अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों का पैरा 11.1 निर्धारित करता है कि राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा जांच की गई व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई सभी परियोजनाओं की उसी क्रम में निविदा की जाएगी एवम्

8. पैकेज आरजे-23-09 में चार सड़के: बड़गांव से गोर्वधनपुरा, एनएच-76 रेलवे क्रोसिंग से एनएच-12 नहर के साथ-साथ, बलिता से धन धन सतगुरू आश्रम, बलिता से गिरधरपुरा। पैकेज आरजे 23-10 में आठ सड़के: मिसिंग लिंक घोड़ा बस्ती, मिसिंग लिंक श्रीनाथपुरम, मिसिंग लिंक बालाकुंड सड़क, मिसिंग लिंक संतोषी नगर, लिंक सड़क महावीर नगर, लिंक सड़क तलवंडी, लिंक सड़क शिवपुरा, लिंक सड़क दीन दयाल नगर।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैकेज संख्या आरजे-बीएन-11-05 के अन्तर्गत चार सड़कों[9] की ₹ 1.76 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तावों की राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा जांच करने व भारत सरकार द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात् प्रदान की गयी (अप्रेल 2006)। मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ने संवेदक मैसर्स ओम कन्सट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में 'जी' अनुसूची से 22.83 प्रतिशत ऊपर कुल ₹ 2.33 करोड़ ('जी' अनुसूची राशि ₹ 1.83 करोड़ थी) पांच वर्षो के संधारण शुल्क ₹ 0.8 करोड़ के साथ अनुमोदित की (नवम्बर 2006)। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, चुरू ने कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की तिथि क्रमशः 1 जनवरी 2007 और 30 सितम्बर 2007 के साथ कार्यादेश ₹ 2.33 करोड़ जारी किया (दिसम्बर 2006)। सभी सड़कों के कार्य जून 2009 में पूर्ण हुए और नवम्बर 2012 में संवेदक को अन्तिम भुगतान ₹ 2.04 करोड़ का किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत, चुरू के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ (मार्च 2012) कि उपरोक्त पैकेज में सम्मिलित एक सड़क 'एनएच 65 किमी 80/0 से जयपुरिया खालसा', जो रेलवे ट्रेक से गुजर रही थी, पर रेलवे द्वारा 'सी' श्रेणी का मानव युक्त रेलवे क्रोसिंग[10] का निर्माण किया गया। विभाग ने रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधि से ₹ 1.64 करोड़ दिये (नवम्बर 2008 व जनवरी 2010) जिसमें कार्य की लागत, 30 वर्षो के लिए गेटमेंन की मजदूरी, उपभोगीय सामग्री और 30 वर्षो के लिए रखरखाव शुल्क शामिल था। यह भी पाया कि सड़को के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, जो राज्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा अनुमोदित था, में रेलवे क्रोसिंग और रेलवे को भुगतान करने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करके रेलवे को राशि ₹ 1.64 करोड़ का भुगतान किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता, चुरू ने कहा (मार्च 2012) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रेलवे क्रोसिंग का प्रावधान शामिल किया गया था लेकिन राज्य तकनीकी एजेन्सी ने उसको अनुमोदित नहीं किया। राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना निधि से भुगतान की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् की गयी। उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि रेलवे को किया गया भुगतान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत व अनाधिकृत था।

---

9. बैरासर बाड़ा से कानावासी, एनएच-65 से झांबर, नूहड़ से बास मामराज, एनएच 65 किमी 80/0 से जयपुरिया खालसा।

10. मानव नियंत्रित पूरी चौड़ाई की लिफ्ट बेरियर/यांत्रिक पूरी चौड़ाई की स्विंगिंग बेरियर

इस प्रकार, रेलवे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना निधि से किये गये अनाधिकृत भुगतान ₹ 1.64 करोड़ को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के खाते में वापस किया जाना आवश्यक था।

3.1.4 सड़क निर्माण कार्यों पर अनाधिकृत व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों व ग्रामीण सड़क नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना के अभाव में सड़क निर्माण कार्यों पर राशि ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 8.5(ii) के अनुसार नये निर्माण में 500 से कम आबादी की बस्तियों को जोड़ने, जहां अनुमानित यातायात विकास बहुत कम हो, सड़क की चौड़ाई 3 मीटर तक सीमित होगी। आगे, ग्रामीण सड़क नियमावली के क्लाज 2.6.4 के अनुसार, जहां यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम है और जहां सड़क बन्द होने, कम बस्ती व कम भू-भाग होने की वजह से यातायात वृद्धि की संभावना नहीं है, वहां ग्रामीण सड़क के परिवहन मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर तक ही सीमित की जावेगी।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत्, जालौर जिले में 3.75 मीटर चौड़ाई में 16 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण (65.32 किमी) हेतु राशि ₹ 9.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2007 व फरवरी 2008 में जारी की **(परिशिष्ट 3.2)**। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालौर व अधिशाषी अभियंता जालौर, भीनमाल और सांचौर द्वारा जुलाई 2007 व फरवरी 2008 में राशि ₹ 8.92 करोड़ की जारी की गयी। अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालौर, सांचौर और भीनमाल द्वारा अक्टूबर-नवम्बर 2007 और मई-जून 2008 में विभिन्न संवेदकों को कार्यों का आवंटन किया गया। संवेदकों द्वारा मई 2011 तक ₹ 8.71 करोड़ का कार्य किया।

अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त जालौर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मई 2011) कि उक्त सड़कों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, बस्तियों की आबादी 500 से कम थी और यातायात का घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम अर्थात 16 से 40 के मध्य ही था। इन सभी शर्तो के आधार पर 3 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया जाना चाहिए था लेकिन राज्य तकनीकी संस्था द्वारा अनुमोदित सड़कों पर 3.75 मीटर चौड़ाई में कार्य निष्पादित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ **(परिशिष्ट 3.3)** का अनाधिकृत व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2013) कि भविष्य में यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से अधिक होने की संभावना को देखते हुए सड़क कार्यों

को 3.75 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया और उसी के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी अनुमानों को स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि सड़क कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय यातायात घनत्व 16 और 40 के मध्य था और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित 6 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि दर के आधार पर दस वर्ष की डिजाईन अवधि के बाद भी 30 से 76 के मध्य रहेगा। निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ।

3.1.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधियों का अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की निधियां ₹ 9.74 करोड़ का अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 11.5 के अनुसार किसी पैकेज के अंतर्गत 10 प्रतिशत तक आधिक्य/बचत को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेन्सी को सूचित करते हुए समायोजित किया जा सकता है। यद्यपि, अन्य मामलों में कार्य के क्षेत्र या मात्रा में प्रभावी परिवर्तन के मामलों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेन्सी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण वित्तीय व लेखा नियम के नियम 286(2) में यह व्यवस्था है कि जहां मूल प्रस्तावों में तात्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत, अन्य मदों पर होने वाली बचत के द्वारा पूर्ति किया जाना संभव हो, लागत स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त किया जाना आवश्यक है। आगे, नियम 352 में व्यवस्था है कि किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान पर कोई प्रत्याशित या वास्तविक बचतें, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य को करने में नहीं लगायी जानी चाहिए जो मूल परियोजना में नहीं बताया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन (जुलाई 2007) के अनुरूप, उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के उन्नयन हेतु जुलाई 2007 में चार पैकेजों[11] के अन्तर्गत ₹ 14.68 करोड़ तथा फरवरी 2009 में 10 पैकेजों[12] के अन्तर्गत ₹ 31.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर संभाग द्वारा कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर द्वारा चार पैकेजों के लिए सितम्बर 2007 में व शेष 10 पैकेजों के लिए मई से दिसम्बर 2009 के दौरान कार्यादेश जारी किये गये। सड़क उन्नयन से संबंधित

11. बी एन यू जी- 03,04,06,07।
12. बी एन यू जी- 23,24,26,29,30,33,36,38,45 व 46।

सभी कार्य अप्रेल 2008 व मई 2010 के मध्य ₹ 31.22 करोड़ का व्यय कर पूर्ण कर लिए गये।

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त श्रीगंगानगर के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रेल 2012) में पाया गया कि 14 पैकेजों में 13.32 व 45.61 प्रतिशत के बीच बचत हुयी। आगे, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त किए बिना अतिरिक्त कार्यों और इन 14 पैकेजों में नये कार्यों की लागत को शामिल करते हुए नये कार्यादेश जारी किये गये (अक्टूबर 2010 मे दिसम्बर 2010) और राशि ₹ 6.67 करोड़ का व्यय किया गया।

इसी प्रकार, अन्य मामले में, भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन (अक्टूबर 2009) के अनुरूप, उपसचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अजमेर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पांच पैकेजों यथा आरजे 01-बी एन यू जी-08 से 12 के अंतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु ₹ 18.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, संभाग, अजमेर द्वारा कार्यो की निविदा स्वीकृति के बाद अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड ब्यावर व जिला खण्ड, अजमेर द्वारा अप्रेल 2010 में कार्यादेश जारी किये गये। पैकेज सं. आर जे 01-बीएनयूजी-12 को छोड़कर सभी पैकेजों का कार्य ₹ 12.31 करोड़ का व्यय कर पूर्ण कर लिया गया। (दिसम्बर 2010 से अक्टूबर 2011)

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2012) में पाया गया कि सभी पांच पैकेजों में 26 व 51 प्रतिशत के बीच बचत होगी। आगे, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना अतिरिक्त कार्यो और इन पांच पैकेजों में नये कार्यो की लागत को शामिल करते हुए नये कार्यादेश जारी किये गये (अक्टूबर 2010) और जनवरी 2013 तक ₹ 3.07 करोड़ का व्यय किया गया।

उक्त दोनों मामलों में तथ्यों को स्वीकारते हुए राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून-जुलाई 2013) कि अतिरिक्त कार्य, मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निधियों की बचत का उपयोग करने हेतु जारी आदेशों की अनुपालना में निष्पादित किये गये व अतिरिक्त कार्यो सहित कुल व्यय, राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा में था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

इस प्रकार, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अतिरिक्त मदों के कार्य के लिए ₹ 9.74 करोड़ बचत का उपयोग प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान और सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमों के विपरीत था।

3.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.2.1 सड़क सुधार पर अन्यायोचित व्यय

राष्ट्रीय राजमार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 और 22/0 के बीच सतह सुधार पर ₹ 1.81 करोड़ का अन्यायोचित व्यय

भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा वर्ष 2001 में (आई.आर.सी. 37-2001) सिफारिश की गयी थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु पेवमेंन्ट सतह का डिजाईन 15 वर्षों की जीवन अवधि के लिए क्रस्ट की केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों वेल्यू[13] व मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल[14] के मद्देनजर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग 11-ए विस्तार (दौसा-लालसोट-कौथून सड़क) के किमी 4/0 से 22/0 में क्रस्ट पूर्णत: टूटने के कारण वर्तमान सतह में सुधार हेतु मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने भारत सरकार के सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय को ₹ 6.37 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये (जुलाई 2009)। प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् सड़क यातायात व उच्च मार्ग मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2009 में ₹ 6.10 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की। कार्य, राशि ₹ 4.23 करोड़ पर मैसर्स राजेन्द्र सिंह भामू के पक्ष में आवंटित किया गया (फरवरी 2010)। कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि दिनांक 3 नवम्बर 2010 थी। कार्य 22 जनवरी 2011 तक ₹ 4.37 करोड़ का व्यय कर पूर्ण किया गया।

अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड प्रथम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मार्च 2012) कि राजमार्ग की उक्त स्ट्रेच में क्रस्ट की केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों वेल्यू 6 प्रतिशत थी और व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन पर आधारित मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल के रूप में डिजाइन यातायात 69 था। यदि मिलियन स्टेण्डर्ड एक्सल निम्न स्तर 50 पर लिया जाता तो पेवमेंन्ट का

13. केलिफोर्निया बियरिंग रेश्यों (सीबीआर) सड़क सबग्रेड और बेस कोर्स की यांत्रिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए क्षेत्र बेधन परीक्षण है।
14. यातायात डिजाईन की इकाई है जिसके आधार पर सड़क के फ्लेक्सीबल पेवमेंन्ट की डिजाईन की जाती है।

बिटुमन सरफेस 165 एमएम लिया जाता। जबकि विभाग द्वारा 20 एमएम का बिटुमन सरफेस लेकर कार्य निष्पादित कराया गया जिस पर ₹ 1.81 करोड़ व्यय उपगत हुआ। चूँकि बिटुमन सरफेस की गलत मोटाई लिये जाने के कारण सड़क, यातायात तीव्रता को सहन नहीं कर सकी और दो वर्ष की अवधि में ही टूट गयी। पेवमेंन्ट की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा इस स्ट्रेच की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु पुनः प्रस्ताव भेजे गये, जो कि 100 एमएम बिटुमिन्स सरफेस स्वीकार करते हुए ₹ 9.92 करोड़ के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये (दिसम्बर 2012)। कार्य प्रगति पर था (मई 2013)। इस प्रकार 20 एमएम बिटुमिन्स सरफेस का निष्पादन तकनीकी रूप से न्यायोचित नहीं था और इस पर किया गया ₹ 1.81 करोड़ का व्यय अन्यायोचित एवं निरर्थक था।

राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र (सितम्बर 2002) के आधार पर 20 एमएम बिटुमिन्स सरफेस के प्रावधान लिये गये। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिपत्र जहां वर्तमान क्रस्ट असफल नही हुई थी, वहीं लागू था जबकि इस मामले में क्रस्ट पूरी तरह से असफल हो चुकी थी।

सहकारिता विभाग

3.2.2 परिहार्य हानि

बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय एवं भण्डारण सुविधा की उपयुक्त आयोजना के अभाव में, लहसुन का नीचे गिरे मूल्यों पर निस्तारण के लिए विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि।

भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राज्य सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत उपजकर्ता को बदहवास बेचान से बचाने हेतु 2011-12 की फसल ऋतु के लिए लहसुन की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (जून 2012)। योजना में उचित स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए ₹ 425 प्रति क्विण्टल ऊपरीव्यय के साथ ₹ 1,700 प्रति क्विंटल की बाजार हस्तक्षेप कीमत या वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, पर राज्य सरकार द्वारा तय, राज्य के विभिन्न केन्द्रों/क्षेत्रों पर सहकारी संस्थाओं, किसान संगठनों या सीधे वास्तविक किसानों से खरीदना परिकल्पित था। खरीदे गये भण्डार का निस्तारण, अधिकतम वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये जाने हेतु, प्रक्रिया इकाइयों को (राज्य के अन्दर) या स्थानीय बाजार के माध्यम से खुले बाजार में विक्रय द्वारा किया जाना था।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, राज्य सरकार ने कोटा एवं जोधपुर जिलों में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड) तथा झालावाड़, बूंदी एवं बारां जिलों में तिलम संघ के माध्यम से उचित स्वीकार्य गुणवत्ता के 30,000 एमटी लहसुन की खरीद का निर्णय किया (जून 2012)।

उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (मई 2013) कि राजफेड द्वारा 3,711.5 एमटी लहसुन (₹ 7.27 करोड़) तथा तिलम संघ द्वारा 2,569.9 एमटी लहसुन (₹ 4.67 करोड़) 6 जून और 6 जुलाई 2012 के बीच खरीदा गया। विभाग ने लहसुन के भण्डारण की व्यवस्था होने तक इसको संबंधित मण्डियों में तम्बुओं में भण्डारण करने का निर्णय लिया (7 जून 2012)। राजफेड एवं तिलम संघ ने गोदाम में भण्डारण के लिए निदेशक, उद्यान, व्यवस्थापक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, कोटा एवं कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को प्रस्ताव दिया (2 जून, 4 जून एवं 6 जून 2012) लेकिन इन सभी प्राधिकारियों ने इस शीघ्र खराब होने वाली वस्तु के लिए उपयुक्त भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया (6 जून व 7 जून 2012)। राजफेड ने विभिन्न मण्डियों/केन्द्रों में दलालो के माध्यम से प्रचलित बाजार दरों पर लहसुन की बिक्री के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड) के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया (20 जून 2012)। अत: राजफेड/नेफेड एवं तिलम संघ को दिल्ली, नीमच, जयपुर, टोंक एवं चण्डीगढ़ की मण्डियों में ₹ 5.25 एवं ₹ 11.00 प्रति किलोग्राम की दर पर लहसुन का निस्तारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा (22 जून 2012 से 24 जुलाई 2012)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की शुद्ध हानि हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

संस्थाओं का नाम	खरीद की मात्रा (क्विंटल में)	ऊपरीव्यय सहित खरीद लागत (₹ करोड़ में)	बिक्री से प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	हानि (₹ करोड़ में)
तिलम संघ	25,699	4.67	1.98	2.69
राजफेड	37,115	7.27	2.97	4.30
योग	**62,814**	**11.94**	**4.95**	**6.99**

यह पाया गया कि मथानिया मण्डी के बाहर खरीद मूल्य ₹ 25 प्रति किलोग्राम होने के कारण राजफेड ने लहसुन खरीद के अपने प्रगति प्रतिवेदन (12 जून 2012) में मथानिया मण्डी में 'शून्य' आवक दर्शायी थी। इससे यह इंगित हुआ कि दूसरी मण्डियों में उच्च दरें उपलब्ध थी जहां स्थानीय उत्पादक अपने उत्पाद बेच रहे थे। यह, दूसरी मण्डियों, जैसे जावरा (₹ 47 तक), मन्दसौर (₹ 18 तक), रतलाम (₹ 18.50 तक), सैलाना (₹ 15 तक) एवं सुमेरपुर (₹ 25 तक) में 19 जुलाई से 23 अगस्त 2012 के दौरान प्रति किलोग्राम उपलब्ध दरों से भी सुनिश्चित होता है।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2013) कि राजस्थान राज्य भण्डारण निगम एवं केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा भण्डारण सुविधा उपलब्ध करवाने में असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त, सम्बन्धित मण्डियों में प्रचलित बाजार दरों पर भण्डार का निस्तारण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे यह भी अवगत कराया गया कि जोधपुर/मथानिया क्षेत्र में उच्च दर ₹ 25 प्रति किलोग्राम इसकी गुणवत्ता अच्छी होने के कारण थी, जबकि कोटा क्षेत्र मे खरीदा गया लहसुन निम्न गुणवत्ता का था।

उत्तर, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले लहसुन के भण्डारण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में विभाग की विफलता की पुष्टि करता हैं। इसके कारण राजफेड/नेफेड एवं तिलम संघ बहुत ही अल्प मूल्यों (₹ 5.25 से ₹ 11 प्रति किलोग्राम) पर भण्डार का निस्तारण करने को बाध्य हुए। यदि विभाग आवश्यक भण्डारण की व्यवस्था करता तो ये संस्थाएँ भण्डार को लम्बी अवधि के लिए रख पाती और अपेक्षाकृत उच्च दरों पर बिक्री द्वारा हानि को कम कर पाती।

उपयुक्त आयोजना एवं भण्डारण सुविधाओं के अभाव के कारण बदहवास बेचान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की हानि हुई।

पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग

3.2.3 जर्म प्लाज्मा स्टेशन का अद्योपयोजन

आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किए बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत के संयंत्र का अद्योपयोजन।

50 सांडों से प्रतिवर्ष 10 लाख सीमन अंश उत्पादन क्षमता के साथ नारवा खिच्यान (जोधपुर) में जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर ने भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग को एक प्रस्ताव प्रेषित किया (जनवरी 2008), जिससे पश्चिमी राजस्थान में स्वदेशी पशुओं की जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत (लगभग 31 लाख) आवृत हो सके। भारत सरकार ने मवेशी एवं भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना, एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, के चरण II के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदित की एवं ₹ 6.33 करोड़ स्वीकृत किये (अप्रेल 2008)। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को परियोजना के निष्पादन का कार्य सौंपा गया एवं राजस्थान पशुधन विकास मण्डल को समन्वय अभिकरण बनाया गया। नये सीमन बैंक का प्रक्षेपण इसके संचालन से ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक होना था। इसकी प्राथमिकता पशुपालन विभाग एवं राज्य में संचालित कृत्रिम

गर्भाधानों की मांग को पूरा करना था। अतिरिक्त उत्पादन की अन्य अभिकरणों, अर्थात निजी प्रजनकों, कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों एवं नजदीकी राज्यों को आपूर्ति की जानी थी। परियोजना को स्वीकृति की तिथि से तीन वर्षो में पूर्ण किया जाना था (मई 2008 से मई 2011)।

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2012) एवं आगे सूचनाओं के संग्रहण (नवम्बर 2012 एवं जनवरी 2013) में प्रकट हुआ कि राजस्थान पशुधन विकास मण्डल द्वारा राशि ₹ 6.80 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई (जुलाई 2008 से अप्रेल 2012) जिसके समक्ष सिविल एवं यांत्रिक कार्यो तथा उपकरणों की खरीद पर ₹ 7.28 करोड़[15] का व्यय किया गया। जर्म प्लाज्मा स्टेशन का वर्ष 2012-13 के लिए निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4: जर्म प्लाज्मा स्टेशन का निष्पादन

क्र.सं.	गतिविधि	योजना के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	परियोजना को पूर्ण करना	मई 2011	अक्टूबर 2012	17 माह के विलम्ब से पूर्ण
2	सांड पालन की संख्या	50	21[16]	42
3	उत्पादन की शुरूआत	जून 2011	जून 2012	12 माह के विलम्ब से शुरूआत
4	प्रति सांड अंशों की संख्या (प्रतिमाह)	1667	692	42
5	सीमन अंशों के उत्पादन की संख्या (लाखों में)	10	1.45	14.5
6	वार्षिक योजना के लिए नियत लक्ष्य (लाखों में)	5	1.45	29
7	विक्रय का लक्ष्य (लाखों में)	1.45	0.20	14

स्त्रोत: विभागीय प्रलेख

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट वर्णन करती हैं कि जर्म प्लाज्मा स्टेशन इसके लक्ष्यों की उपलब्धि में सफल नहीं रहा। अगस्त 2011 में केवल 21 सांडों (42 प्रतिशत) का प्रापण किया गया जबकि जून 2012 से सीमन उत्पादन प्रारम्भ किया गया। यहां भी न केवल सीमन अंशों का कम उत्पादन हुआ (71 प्रतिशत) अपितु प्रति सांड अंशों का उत्पादन भी कम हुआ (58 प्रतिशत)। 2012-13 के दौरान 20,000 अंशों का न्यून विक्रय, उत्पाद के निपटान के अपर्याप्त प्रयास को भी

15. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा: ₹ 6.77 करोड़ एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा: ₹ 0.51 करोड़।
16. मार्च 2013 में 10 सांडों की खरीद।

दर्शाता है। इस प्रकार आवश्यक संख्या में सांडों की प्राप्ति में कमी, प्रति सांड सीमन अंश का कम उत्पादन और कम मांग की वजह से संयंत्र का उपयोग कम हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि सिविल कार्य अक्टूबर 2012 में पूर्ण किया गया था लेकिन सांडों के शेड का कार्य काफी पहले ही पूर्ण कर लिया गया था। इसलिए 21 सांड नारवा खिच्यान को स्थानान्तरित किये गये (अगस्त 2011) एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। तथापि, सीमन का उत्पादन आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण खरीद के बाद जून 2012 से शुरू किया गया। जर्म प्लाज्मा स्टेशन, नारवा से सीमन अंश की मांग संभव नहीं थी जैसा कि राजस्थान पशुधन विकास मण्डल ने दिसम्बर 2012 तक पशुपालन विभाग एवं सहकारी डेयरी की जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए केवल जड़ीकृत सीमन बैंक, बस्सी से करने के लिए अधिकृत किया। राजस्थान पशुधन विकास मण्डल ने जनवरी 2013 में जर्म प्लाज्मा स्टेशन को सीमन अंश आपूर्ति हेतु अनुमोदित किया। साथ ही, केन्द्रीय अनुश्रवण इकाई ने स्टेशन का मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण मई 2013 में किया, इस कारण जनवरी 2013 के बाद तक भी अंशों की आपूर्ति न्यून थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परियोजना मई 2011 तक पूर्ण की जानी थी और तुरन्त बाद उत्पादन शुरू किया जाना था। सीमन अंश के उत्पादन, सीमन अंश की आपूर्ति हेतु प्राधिकरण एवं स्टेशन के श्रेणीकरण में विलम्ब, अपर्याप्त आयोजना के परिचायक थे।

इस प्रकार, आवश्यक संख्या में सांडों के प्रापण किये बिना एवं जड़ीकृत सीमन अंश की आपूर्ति के लिए ग्राहकों की सुनिश्चितता किये बिना जर्म प्लाज्मा स्टेशन की स्थापना के परिणामस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ की लागत से स्थापित संयंत्र का अद्योपयोजन रहा।

3.2.4 नये बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियों का निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रहना।

दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी ₹ 1.31 करोड़ की लागत से स्थापित नए बायपास प्रोटीन संयंत्र पर निधियां निष्क्रिय एवं अवरूद्ध रही।

राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि प्राप्त करने एवं इसके द्वारा दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं से शुद्ध दैनिक आय बढ़ाने की दृष्टि से पशु आहार संयंत्र, जोधपुर में एक बायपास प्रोटीन सम्पूरक संयंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल, आनन्द (गुजरात) से अनुबंध निष्पादित किया (दिसम्बर 2008)। राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल ने राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को उत्पाद के विनिर्माण के लिए अनुभव उपलब्ध

करने एवं निश्चित नियमों एवं शर्तों पर उत्पाद के विपणन का सही अधिकार प्रदान करने पर सहमति दी। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार संयंत्र की उत्पादन क्षमता 50 मैट्रिक टन (एमटी) प्रतिदिन थी और इसके संचालन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के दौरान इसकी क्षमता (15000 एमटी प्रतिवर्ष) का 50, 75 तथा 100 प्रतिशत उत्पादन अभिकल्पित था। तथापि, पशु आहार संयंत्र, जोधपुर द्वारा सम्भाव्य विक्रय के लिए सर्वेक्षण का आयोजन या संयंत्र के निर्विघ्न संचालन के लिए कार्य योजना नहीं बनाई गई।

संयंत्र, कुल लागत ₹ 1.31 करोड़ (सिविल एवं बिजली के कार्य: ₹ 37.78 लाख तथा मशीनरी: ₹ 93.31 लाख) पर उत्पादन के लिए अक्टूबर 2010 में स्थापित हो गया था।

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड़, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2012) एवं संग्रहित अतिरिक्त सूचनाओं (अक्टूबर 2012 तथा मई 2013) से प्रकट हुआ कि संयंत्र की स्थापना को दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी दिसम्बर 2012 के अंत तक उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि बायपास प्रोटीन के विनिर्माण के लिए कुछ निर्णायक घटक प्राप्त करने में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, जयपुर विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान लक्षित मात्रा 2500 एमटी (चार माह के लिए आनुपातिक) के समक्ष केवल 144 एमटी (प्रथम वर्ष की क्षमता दर का 5.76 प्रतिशत) बायपास प्रोटीन का उत्पादन कर सका। संयंत्र केवल तीन दिवस[17] चला। उत्पादन प्रक्रिया की अपर्याप्त कार्य योजना एवं अनुचित अनुश्रवण के परिणामस्वरूप संयंत्र, इसके स्थापना के पश्चात् भी दो से अधिक वर्षों से असंचालित रहा तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद भी इसका उपयोग 'शून्य' के बराबर हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा खनिज मिश्रण[18] एवं विटामिन 'ई' की व्यवस्था के बारे में सूचित नहीं करने के कारण बायपास प्रोटीन के उत्पादन में विलम्ब हुआ एवं यद्यपि, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा परियोजना की स्थापना के तुरन्त पश्चात् घटकों के प्रापण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, फिर भी इन मदों के लिए जारी निविदाऐं बार-बार असफल होने के कारण तीन घटकों (डी-कैल्शियम फॉस्फेट, मेग्नेशियम ऑक्साईड एवं कालमिट पाऊडर) के खनिज मिश्रण की व्यवस्था करना कठिन सिद्ध हुआ। आगे, यह बताया गया कि अब उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और संयंत्र पूर्ण क्षमता से चलने में समय लेगा।

---

17. 29 दिसम्बर 2012: 63.55 एमटी; 5 फरवरी 2013: 20.00 एमटी एवं 18 फरवरी 2013: 60.50 एमटी।
18. डी-केल्शियम फॉस्फेट, चूना पत्थर चूर्ण, मेग्नेशियम ऑक्साईड सल्फेट, फरॉस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मेगनीज सल्फेट, जिंक ऑक्साईड, कोबाल्ट सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियमथियो सल्फेट का सुत्रबद्ध संयोजन।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि महाप्रबन्धकों की समिति की बैठक (फरवरी 2011) में यह निर्णय लिया था कि यदि आवश्यक हो तो उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु खनिज मिश्रण के 1-2 ट्रक अमूल आनन्द से खरीदे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्ताव में यह उल्लेख था कि विभिन्न राज्यों में सात बायपास प्रोटीन संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहे थे परन्तु निविदा प्रक्रिया के लगातार असफल होने के बावजूद पशु आहार संयंत्र द्वारा खनिज मिश्रण की खरीद या अन्य राज्यों से मार्गदर्शन लेने का प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रबन्ध नहीं किया जाना कमजोर आयोजना को इंगित करता है।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य संयंत्र की स्थापना के तीन वर्ष के उपरान्त भी ₹ 1.31 करोड़ व्यय करने के बावजूद प्राप्त नहीं किया जा सका।

कृषि विभाग

3.2.5 निष्फल व्यय

ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना पर ₹ 1.50 करोड़ का निष्फल व्यय।

राज्य सरकार ने बजट घोषणा (अप्रेल 2005) में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में ₹ 0.96 करोड़ की लागत की ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव किया। इसकी अनुपालना में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय के संकाय अध्यक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2005) और निदेशक, उद्यान राजस्थान सरकार ने रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री के विकास हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए अनुमानित लागत ₹ 0.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (जुलाई 2005)। परियोजना की कार्य योजना के अनुसार, नागपुर संतरे, मौसम्बी, बांस और सफेद मूसली की प्रतिवर्ष एक लाख पौध तैयार की जानी थी तथा 2009-10 से झालावाड के किसानों को उपलब्ध करवानी थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये (मई 2007)। तद्नुसार, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना के पश्चात् पाँच से छः वर्षों में पौध उपलब्ध करवायी जानी थी और कृषि विभाग (वानिकी प्रजाति) एवं उद्यान विभाग (उद्यान प्रजाति) द्वारा मांग की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2005 से फरवरी 2009 के दौरान नियन्त्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ₹ 0.96 करोड़ की निधियां निर्मोचित की गई थी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 0.65 करोड़ की अतिरिक्त निधियाँ भी स्वीकृत की

गयी (मार्च 2008)। इसके समक्ष ₹ 1.50 करोड़[19] व्यय किए गए थे। प्रारम्भ में, वन विभाग के पुराने भवन में आवश्यक नवीनीकरण कराए जाने के पश्चात् प्रयोगशाला की स्थापना (2005-06) एवं प्रोटोकोल के मानकीकरण का कार्य शुरू किया गया था। साथ-साथ नई प्रयोगशाला निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया और भवन की अन्तिम रूप से सुपुर्दगी जनवरी 2009 में ली गई। प्रयोगशाला को नयी ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला में 2009-10 में स्थानान्तरित किया गया।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (फरवरी-मार्च 2013) कि सागवान एवं बाँस के गुणन समूह के लिए प्रोटोकोल की स्थापना की गई और 2010-11 में बांस के 1000 और सागवान के 800 पौधे उत्पन्न किये गये। नागपुर सन्तरे एवं मौसम्बी के प्रोटोकोल का परिमार्जन भी 2011-12 में पूर्ण किया गया। सफेद मूसली के पौधे ऊतक प्रयोगशाला में संसाधित नहीं किये गये। पौधों का आगे उत्पादन नहीं किया गया एवं कृषि एवं उद्यान विभाग से मांग के अभाव में कृषकों को पौधों की आपूर्ति अब तक नहीं की गई (मार्च 2013)।

इस प्रकार, आठ वर्षों (2005-13) में नागपुर सन्तरे, मौसम्बी, बांस एवं सफेद मूसली के एक लाख पौधों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के समक्ष केवल 1000 बांस के तथा 800 सागवान के पौधों का उत्पादन किया गया। कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु पौध सामग्री के विकास के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना का समझौता ज्ञापन (मई 2007) का उद्देश्य भी विफल रहा।

विभाग ने बताया (जुलाई 2013) कि ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना कृषि एवं उद्यान विभाग को उनकी मांग पर रोग मुक्त पौधो के वितरण के लिए की गई थी। इस प्रकार, बाँस के 1000 पौधे तथा सागवान के 800 पौधे 2010-11 में उगाये गये लेकिन इन पौधों को, मांग के अभाव में वितरित नहीं किया जा सका। इसलिए 300 बाँस के पौधे एवं 200 सागवान के पौधे महाविद्यालय (महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) के केम्पस में लगाये गये। विभाग ने आगे बताया कि प्रयोगशाला का उपयोग छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कृषि एवं उद्यान विभाग को रोगमुक्त उच्च गुणवत्ता के पौधे वितरण करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः ₹ 1.50 करोड़ का निवेश निरर्थक रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया, प्रत्युत्तर अभी तक अपेक्षित है (दिसम्बर 2013)।

19. ₹ 0.85 करोड़ (सिविल कार्य, उपकरण, कांच के बर्तन और रासायनिक, हरितगृह विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर व साज-सज्जा आदि) और ₹ 0.65 करोड़ (उपकरण, रासायनिक, कांच के बर्तन एवं प्लास्टिक बर्तन, बहु कार्बनयुक्त, हरितगृह तथा जालगृह आदि)।

3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.3.1 वन भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्यादेश जारी किया जाना

वन भूमि के अन्दर से सड़क बनाने के प्रस्ताव देने तथा कार्यादेश देने से ₹ 84.26 लाख का व्यय होने के बावजूद सड़क कार्य अभी भी अपूर्ण रहा।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 351 निर्धारित करता है कि ऐसी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नही करना चाहिए जिसे किसी उत्तरदायी सिविल अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सौंपा नहीं गया हो। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि का गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए उपयोग को निषेध करती है।

धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत् कंवरपुरा से बांकेश्वर महादेव मन्दिर (2 किमी) सड़क निर्माण कार्य की उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ₹ 1.42 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (सितम्बर 2008)। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड लाखेरी ने 14 अक्टूबर 2008 को कार्यादेश, संवेदक मैसर्स शिवराज के पक्ष में 'जी' अनुसूची से 21.23 प्रतिशत नीचे ₹ 92.65 लाख, जारी किया। निर्धारित तिथि 23 अप्रेल 2009 तक पूरा किया जाने वाला कार्य मार्च 2013 तक ₹ 84.26 लाख व्यय उपगत करने के बाद अधूरा पड़ा हुआ था।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, लाखेरी के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ (अप्रेल 2012) कि संवेदक ने सड़क कार्य में केवल 0/000 से 1/500 किमी पूर्ण किया गया था। शेष खण्ड (1/500 से 2/000 किमी) में कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि यह संरेखण वन क्षेत्र मे घिरा हुआ था और वन विभाग ने सड़क के निर्माण पर आपत्ति जताई थी। विभाग ने फरवरी 2009 में वन भूमि के रूपान्तरण के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को भेजा। प्रस्ताव अप्रेल 2012 तक प्रक्रियाधीन बने रहे। मुख्य अभियन्ता (सड़क) ने कहा (अक्टूबर 2012) कि खण्ड 1/500 से 2/000 में सड़क की आवश्यकता नहीं होने के कारण परियोजना को पूर्ण मान लिया जाये और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन भेज दिया गया। इसलिए, वन विभाग को भूमि के रूपान्तरण के लिए पहले के भेजे गये प्रस्तावों को वापिस ले लिया गया।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा सड़क की स्वीकृति से पहले उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया और कार्य को करने से पहले भूमि के स्वामित्व को सत्यापित नही किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा (अगस्त 2013) कि विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पहले वन भूमि की जानकारी नहीं थी क्योंकि वन विभाग द्वारा वन भूमि का कोई सीमांकन नहीं किया गया था। यह भी कहा कि निर्मित सड़क का जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के प्रारम्भ करने से पहले भूमि का स्पष्ट स्वामित्व निश्चित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप मन्दिर को जोड़ने के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि 500 मीटर की सड़क का निर्माण नहीं किया गया तथा मन्दिर तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को पगडंडी का सहारा लेना पड़ता था।

3.4 क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

कृषि विभाग

3.4.1 अनुभवजन्य अध्ययन पर निष्फल निवेश

वर्मीकल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, बायोएजेन्ट परियोजना के लिए और कृषि उत्पादों के प्रोसेंग एवं मूल्य वर्धन पर अनुभवजन्य अध्ययन के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों पर किया गया ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुभवजन्य अध्ययन पर एक योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित थी। योजना का मुख्य प्रयोजन छात्रों को यथार्थ पर्यावरण में अनुभवजन्य खेत, नमूना पौधों एवं अभियान्त्रिकी कार्यशाला के अध्ययन में भागीदार करना था। योजना में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञान के स्नातक छात्रों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित की गई थी। पाठ्यक्रम, छात्रों के बीच उद्यमिता एवं व्यापार प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा की भावना एवं क्षमता के निर्माण लिए बनाया गया था जिससें कि वे स्वयं एवं दूसरों के लिए रोजगार सृजन करने के योग्य हो सकें। चार वर्षीय पूर्व स्नातक कार्यक्रम के तृतीय वर्ष (पांचवें एवं छठे सेमेस्टर) के दौरान प्रायोगिक प्रशिक्षण के प्रस्ताव दिये जाने थे।

अनुभवजन्य अध्ययन के दिशा-निदेर्शो के अनुसार, 180 दिवस की अवधि के प्रत्येक अनुभवजन्य अध्ययन कार्यक्रम के लिए 20 छात्रों की सिफारिश की जानी थी। छात्रों से, उपक्रम की प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पादन, पैकिंग, उत्पादों का भण्डारण, उत्पादों की बिक्री, लेखों का संधारण एवं

लाभ का विश्लेषण इत्यादि तक की सम्पूर्ण योजना एवं प्रबन्धन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने की प्रत्याशा थी। यह विचारणीय था कि अनुभवजन्य अध्ययन कार्यक्रम बिना किसी रूकावट के 180 दिवस के लिए लगातार होना चाहिए। महाविद्यालय में सभी इकाइयों के विक्रय भाग का सीईओ द्वारा निरन्तर अनुश्रवण करना था तथा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु महाविद्यालय में सबसे प्रमुख स्थान पर या बाजार में इसकी व्यवस्था करनी थी। विक्रय पर होने वाले लाभ को छात्रों (75 प्रतिशत), विभागों (10 प्रतिशत) एवं कार्यक्रम में शामिल संकाय सदस्य (15 प्रतिशत) में विभाजित किया जाना था। सामान्य दिशा-निर्देशों में भी निर्धारित था कि यदि इकाई में हानि होना पाया जाये तो अनुश्रवण टीम द्वारा सुधारात्मक उपाय किये जाने चाहिये और यदि इसे सुधारा नहीं जा सके तो इकाई को तत्काल बंद किया जाना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करना था कि स्थापित इकाईयां, उनके पूर्णतया संचालन के बाद वित्तीय रूप से लाभप्रद हो तथा अपनी परिचालन लागत निकालने में सक्षम हो।

- संकाय अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पांच परियोजनाओं[20] के लिए ₹ 2.55 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये (जुलाई 2007)। इनमें से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2007-2011 की अवधि के दौरान ₹ 1.82 करोड़ की तीन परियोजनाऐं[21] अनुमोदित की गई थी तथा निधियाँ सितम्बर 2007 में (₹ 0.50 करोड़), जनवरी 2009 में (₹ 0.80 करोड़) एवं दिसम्बर 2010 में (₹ 0.52 करोड़) इस शर्त के साथ निर्मोचित की गई थी कि योजनाओं का कार्यान्वयन क्रमशः मार्च 2008, मार्च 2009 एवं मार्च 2011 में हो जाये। कृषि महाविद्यालय द्वारा इन तीनों परियोजनाओं पर सिविल कार्य एवं उपकरणों के प्रापण पर ₹ 1.84 करोड़[22] का व्यय किया गया।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2012 मे जनवरी 2013) में प्रकट हुआ कि अनुभवजन्य अध्ययन परियोजना के अन्तर्गत वर्मीकम्पोस्टिंग एवं जैविक खेती तथा वर्मीकल्चर में मिट्टी के प्रबंधन में केवल 56 छात्रों (2008-09 से 2011-12) को, सूक्ष्म प्रजनन में सूक्ष्म प्रजनन तकनीक एवं टिश्यू कल्चर में 48 छात्रों (2010-11 से 2011-12) को तथा जैव कारक एवं एकीकृत रोग प्रबंधन में 30 छात्रों (2011-12) को प्रशिक्षण दिया गया था। 2008-13 के दौरान वर्मीकम्पोस्टिंग के अन्तर्गत, ₹ 3.77 लाख की अल्प राशि की बिक्री के सिवाय प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन से किसी

20. फूलों एवं सब्जियों की खेती को बचाना: ₹ 0.50 करोड़; बीज उत्पादन: ₹ 0.40 करोड़; बायोएजेण्ट उत्पादन ₹ 0.45 करोड़, वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग: ₹ 0.40 करोड़ और गुणवत्ता, आरोग्य रक्षा संबंधी तथा पादप अरोग्य रक्षा संबंधी: ₹ 0.80 करोड़।
21. वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग: ₹ 0.50 करोड़, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला: ₹ 0.80 करोड़ एवं बायोएजेण्ट उत्पादन: ₹ 0.52 करोड़।
22. वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्टिंग 2007-08: ₹ 0.51 करोड़; ऊतक संस्कृति का सूक्ष्म फैलाव प्रयोगशाला 2008-09: ₹ 0.80 करोड़, बायोएजेण्ट समूह उत्पादन, 2010-11: ₹ 0.53 करोड़।

उत्पाद का विक्रय नहीं हुआ। सूक्ष्म प्रजनन इकाई में टिश्यू कल्चर तकनीक के अन्तर्गत तैयार पौधों को कठोरीकृत[23] के लिए प्रयोगशाला से हरित जाल में स्थानान्तरित नहीं किया गया, जिसके कारण पौधे नहीं बेचे जा सके। बायोएजेण्ट के अधिक उत्पादन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तीनों परियोजनाओं के अन्तर्गत आगे किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई।

राज्य सरकार ने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के संबंध में बताया (सितम्बर 2013) कि अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों के साथ छात्रों की पूर्ण समय की भागीदारी तथा उत्पादन विकास एवं आगे बाजार में बेचे जाने के उद्देश्यों की प्राप्ति में देश के कई अन्य अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों में भी कठिनाई आ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सिफारिश की कि बीएससी (कृषि) के चतुर्थ वर्ष के अध्ययन कार्यक्रम को इस तरह प्रतिपादित किया जाना चाहिए कि छात्रों को एक अनुभवजन्य अध्ययन इकाई में पूर्ण सेमेस्टर (180 दिवस) के लिए कार्य के अवसर मिलें एवं स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ने इन सिफारिशों को संचालन के लिये स्वीकार किया।

- इसी तरह, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन के लिए प्रस्ताव को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया (दिसम्बर 2008) तथा अनुभवजन्य अध्ययन में भोजन प्रोसेसिंग के क्षेत्र में दस्ती प्रशिक्षण केन्द्र के प्रारम्भ करने हेतु उत्पाद (आलू, अदरक, प्याज, लहसुन आदि) के लिए भोजन की उष्मीय प्रोसेसिंग, निर्जलीकरण एवं प्रोसेसिंग तथा पैकिंग के लिए अग्रिम सुविधाओं की स्थापना के लिए राशि ₹ 80 लाख स्वीकृत किए। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने इस परियोजना पर ₹ 66.47 लाख व्यय किये एवं परियोजना मार्च 2010 में पूर्ण की गई तथा इकाई फरवरी 2011 में पूर्ण कार्यशील बनी।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी-मार्च 2013) कि सभी आवश्यक गतिविधियों को आवृत किये बिना, दो माह की अवधि में 41 छात्रों (2010-11) एवं 33 छात्रों (2011-12) को केवल दो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिये गये। इन प्रशिक्षणों के दौरान उत्पादित उत्पादों की बिक्री भी नहीं की गई थी, जबकि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुभवजन्य अध्ययन परियोजना के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों (मई 2008) में उत्पादन के विक्रय मूल्य पर 15-20 प्रतिशत लाभ प्रत्याशित था।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ने बताया (सितम्बर 2013) कि सामग्री थोक में नहीं खरीदी जा सकी, बायलर संचालक

23. टिश्यू कल्चर के कठोरीकृत में पौधों को खेतों में लगाने से पहले मिट्टी व एफवाईएम मिश्रण को पोलिथीन थैलियों में रखते हुऐ हरितग्रह में रखा जाता हैं।

के अभाव में व्यावसायिक आधार पर प्रणाली को चलाया नहीं जा सका और इकाई केवल प्रशिक्षण के परिपेक्ष्य में चलाई गई। इससे यह इंगित हुआ कि संयंत्र का उचित संचालन नहीं हो सका, प्रशिक्षण के दौरान सभी गतिविधियों का निष्पादन नहीं हो सका एवं अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। इस प्रकार इन अनुभवजन्य अध्ययन इकाईयों पर हुआ ₹ 2.50 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2013)।

3.4.2 निष्फल व्यय

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत स्थापित जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला में जैविककारक के गुणन में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख का निष्फल व्यय

जैविक नियन्त्रण में प्राकृतिक शत्रुओं का अन्तर्स्त्राव एवं लबरेज प्रवाह द्वारा इस्तेमाल करने हेतु जीवित प्राकृतिक शत्रुओं की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक सन्तुलन बनाये रखने एवं कीटनाशकों के अवशेषों में कमी करने हेतु आवश्यकता आधारित एवं स्थान विशेष के जैविक कारकों के गुणन की आवश्यकता होती है।

अंडों के परजीवी[24], जैवकारकों[25] के गुणन एवं नाभिकीय पोलीहेन्ड्रोसिस विषाणु[26] की सूत्रीकरण के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 2008-09 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के कीट विज्ञान विभाग में जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव निदेशक अनुसंधान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से निदेशक, राजस्थान उद्यान विकास संस्था को प्रेषित किए (जुलाई 2008)। जैवकारक का संवर्धन, फसल (फलों, सब्जियों, कपास, दालें एवं अन्य) उगाने में विभिन्न परोपजीवी कीटों के प्रबन्धन में सहायता से किसानों को लाभान्वित होना वर्णित था।

निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (फरवरी-मार्च 2013) कि राजस्थान उद्यान विकास संस्था ने जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए राजस्थान कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग प्रमुख को ₹ 80 लाख जारी

24. ट्राइक्नोग्रामाटाइड्स एण्ड सिलियोमाईड्स से कीड़ो के अंडों की संख्या कम करना, चिलो पारटेलूस एवं प्लूटेला जाईलोस्टेला के प्रबन्धन के लिए कोटेशिया फलवीपेस एवं कोटेशिया प्लूटेलिया का गुणन किया जाना था।
25. विभिन्न फसल को पारितन्त्र में परोपजीवी कीड़ों के चूषण प्रबन्धन के लिए कोसिनेलीड्स एवं एन्थोकॉराईड्स करना
26. स्पोडोपटेरा लिटूरा एवं हेलीकवरेपा आरमीगेरा।

किये थे (मार्च 2009)। यह पाया गया कि, कीट विज्ञान विभाग प्रमुख, राजस्थान कृषि महाविद्यालय ने सिफारिश की (अप्रेल 2009) कि दो जैविक नियन्त्रण प्रयोगशाला पहले से मौजूद है और नई प्रयोगशाला प्रस्तावित करना इसका दोहराव होगा। जैविक नियन्त्रण परियोजना के परियोजना प्रभारियों ने उनकी बैठक (जुलाई 2009) में भी निष्कर्ष निकाला कि कीट विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय में एक प्रयोगशाला कार्यरत थी एवं माईक्रोबियल पैथोजीन के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत एक अतिरिक्त प्रयोगशाला स्वीकृत की जा चुकी थी (जुलाई 2008)। अत: नई प्रयोगशाला की स्थापना करने के बजाय उनकी स्थापित मौजूद/अधीन दो प्रयोगशालाओं को सुदृढीकरण करना ज्यादा अच्छा होगा। निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने सिफारिशों के बावजूद परियोजना में आगे कार्य इस तर्क के साथ किया कि मौजूदा प्रयोगशाला अंडों के पैरासाईटोईड तक सीमित था जबकि प्रस्तावित प्रयोगशाला में दूसरे जैवकारकों के साथ नाभिकीय पोलीहेन्ड्रोसिस विषाणु के उत्पादन के गुणन के लिए ध्यान रखा गया है एवं प्रयोगशाला की स्थापना पर 2009-10 से 2010-11 के दौरान ₹ 80 लाख[27] खर्च किये। नई स्थापित प्रयोगशाला का 2010-11 से 2012-13 के दौरान का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	गतिविधियां	लक्ष्य (प्रति वर्ष)*	कुल उपलब्धियां		
			2010-11	2011-12	2012-13
1	अंडों का पेरासाईटोईड गुणन (अ) ट्राइक्नोग्रामाटाईड्स (ब) सिलियो नाइड्स	 1,00,000 कार्ड 1,00,000 कार्ड	 1000 कार्ड शून्य	 1000 कार्ड शून्य	 शून्य शून्य
2	मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोटेशीय, प्लूटेला फार प्लूटेला जाइलोस्टेला	50,000 प्रौढ़	20,000 प्रौढ़	20,000 प्रौढ	शून्य
3	मल्टीप्लिकेशन आफ प्रीडेटर्स (अ) कोसिनेलीड्स (ब) एन्थोकॉराईड्स	 50,000 प्रौढ़ 1,00,000 वैयक्तिक	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
4	नाभिकीय पोलीहेन्ड्रोसिस विषाणु का सूत्रीकरण (अ) स्पोडोपटेरा लिटूरा (ब) हेलीकवरेपा आरमीगेरा	 1,000 लीटर 500 लीटर	 शून्य शून्य	 शून्य 20 बोतल (एक लीटर प्रति बोतल)	 शून्य शून्य

स्त्रोत: विभागीय प्रलेख

* निदेशक अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा परियोजना प्रस्ताव जनवरी 2009 में निर्धारित

27. उपकरण: ₹ 69.96 लाख; नवीनीकरण: ₹ 4.39 लाख; फर्नीचर इत्यादि: ₹ 2.65 लाख एवं ग्लासवेयर व केमिकल्स: ₹ 3.00 लाख।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है बहुत कम उत्पादन यह साबित करता है कि विभाग, जैव कारकों के आवश्यक स्तर तक गुणन करने के उद्देश्य में पूर्णतया विफल रहा फलस्वरूप ₹ 80 लाख का व्यय निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2013) कि प्रयोगशाला का नवीनीकरण का कार्य एवं उपकरणों का क्रय 2011 में पूर्ण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, जैव कारकों के लक्ष्यों की पूर्ति केवल कृषकों की मांग पर की जा सकती थी क्योंकि जैव कारकों को लम्बे समय के लिए भण्डार में नहीं रखा जा सकता था। इससे यह इंगित हुआ कि आवश्यक माँग विद्यमान नहीं थी। इस प्रकार, नई प्रयोगशाला की स्थापना की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जुलाई 2009 में हुई बैठक की सिफारिश के आधार पर दो विद्यमान प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, ₹ 80 लाख का व्यय निरर्थक रहा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.4.3 ब्याज और प्रोरेटा चार्जेज का परिहार्य भुगतान

भूमि के अधिग्रहण पर ब्याज तथा प्रोरेटा चार्जेज का ₹ 73 लाख का परिहार्य भुगतान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 34 के अनुसार यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के बाद किया जाता है, तो बकाया राशि पर उस एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

अलवर-राजगढ़-महुआ-हिण्डौन-करौली-मण्डरायल सड़क (हिण्डौन बाईपास) के निर्माण के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त, सवाईमाधोपुर ने अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 13 अक्टूबर 2008 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 12 के तहत् ₹ 3.88 करोड़ का (₹ 1.19 करोड़ निविदा राशि का पहले से ही भुगतान किया जा चुका था तथा ₹ 2.69 करोड़ की अवार्ड राशि का भुगतान किया जाना है।) अंतिम अवार्ड पारित किया।

उप सचिव (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने ₹ 3.34 करोड़ (₹ 2.69 करोड़ अवार्ड राशि तथा ₹ 0.65 करोड़ ब्याज) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (20 दिसम्बर 2011) तथा 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः ₹ 3 करोड़ एवं ₹ 33.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इस स्वीकृति

को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रभारित 13 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज[28] की राशि को शामिल करने के लिए, जनवरी 2013 में ₹ 3.77 करोड़ से पुन: संशोधित किया गया।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, हिण्डौन सिटी के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया (अप्रेल 2012 और जून 2013) कि अधिशाषी अभियन्ता ने भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए जनवरी 2009 में राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये थे। यद्यपि राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 में स्वीकृति जारी की। भूमि क्षतिपूर्ति के लिए बजट आवंटन की स्वीकृति जारी करने में देरी के कारण विभाग को ब्याज भुगतान पर ₹ 8.40 लाख के प्रोरेटा चार्जेज को शामिल करते हुए ₹ 73 लाख के ब्याज की लागत को वहन करना पड़ा यदि राज्य सरकार द्वारा समय पर स्वीकृति जारी की जाती तो इसे बचाया जा सकता था।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2013) में निधियों की स्वीकृति एवं जारी करने में हुए विलम्ब के कोई विशिष्ट कारण नहीं दिये।

सामान्य

3.4.4 लेखापरीक्षा आक्षेपों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, शासन की गुणवत्ता में सुधार एवं जवाबदेयता बढाने में प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की विफलता, कमजोर शासन को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327(1) के अनुसार विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि अंकेक्षण के बाद एक से तीन वर्षों के मध्य है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना, अभिलेखों की निर्धारित प्रतिधारण अवधि में करने में असफल रहने से भविष्य में उनके निपटारे की संभावना अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण क्षीण हो जाती है।

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा उस पर लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणियों के उत्तर एक पखवाड़े में भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की

28. लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-II) का नियम 5(क) से (ड़) बताता है कि स्थापना और औजार एवं संयंत्र की लागत की वसूली, प्रतिशत दर पर (प्रोरेटा), प्रचलित व्यय के पूँजीगत वृहत शीर्ष में और समान अथवा अन्य प्रकार के अन्य विभागों के लिए किये गये कार्य के लिए खण्ड द्वारा की जावेगी।

समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय लेखापरीक्षा समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये थे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में प्रकट हुआ है कि 31 मार्च 2013 को 882 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं इससे संबंधित 3854 अनुच्छेद बकाया थे। इनमें से 64 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें शामिल 102 अनुच्छेदों का निपटान 10 वर्षो से अधिक समय में भी नहीं किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	अनियमितता की श्रेणी	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां	92	20.62
2.	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियां एवं अधिक भुगतान	586	59.17
3.	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	1099	203.06
4.	परिहार्य/अधिक व्यय	496	196.10
5.	निरर्थक/निष्फल व्यय	273	250.10
6.	विनियामक प्रकरण	646	525.22
7.	निष्क्रिय निवेश/संस्थापन/निधियों का अवरोधन	100	99.32
8.	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब	18	7.62
9.	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	53	49.67
10.	विविध	491	261.06
योग		**3854**	**1,671.94**

बकाया लेखापरीक्षा प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव तथा वित्त विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा समिति गठित की गयी थी। वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष चार बैठक आयोजित करने के आदेश जारी किये (नवम्बर 2004), परन्तु वित्त विभाग के निर्देशों की अनुपालना नही की गई तथा 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल एक बैठक ही आयोजित की गई। राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2013) कि बकाया राशि

की वसूली एवं अधिक से अधिक संख्या में अनुच्छेदों के निपटान हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा, शासन की गुणवत्ता में सुधार एवं राजकीय व्यय में जवाबदेयता बढाने में प्रबंधन की सहायक है। सरकार को मामले में ध्यान देकर सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र एवं उचित उत्तर देने को सुनिश्चित करने एवं हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु कार्यविधियां स्थापित कर दी गई है।

(एस.आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक